

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, नागौर
पीठासीन अधिकारी-पीयूष समारिया, आई.ए.एस.

प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या- 09/2023
जी.सी.एम.एस. पोर्टल संख्या- 2023/10

प्रार्थी
आई.सी.आई.सी.आई. होम फाईनेन्स कम्पनी लिमिटेड जिसका रजिस्टर्ड कार्यालय आई.सी.आई.सी.आई. बैंक टॉवर, बान्द्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, मुम्बई-400051 में स्थित व कार्यरत है एवं जिसका एक शाखा कार्यालय द्वितीय तल, राजवंश निसान बिल्डिंग के सामने, पटेल स्टेडियम के पीछे, बजरंग पेट्रोल पम्प के पास जयपुर रोड अजमेर राजस्थान 305001 पर स्थित है। जिसके प्राधिकृत अधिकारी श्री नेम सिंह है।

बनाम

अप्रार्थीगण

1. Mr. Chhotu Lal Kumawat S/o Dula Ram Address 1- Bugaliyo Ka Bas, Behind Goshala, Kuchaman City, Nawa Nagaur, Rajasthan 341508 Address 2- Ward No. 9 Kuber Complex, Station Road Kuchaman City, Nawa, Nagaur, Rajasthan 341508 Address 3- Sabji Mandi, Kuchaman City, Nagaur, Rajasthan 341508
2. Mrs. Radha Devi W/o Chhotu Lal Kumawat Address 1- Bugaliyo Ka Bas, Behind Goshala, Kuchaman City, Nawa Nagaur, Rajasthan 341508 Address 2- Ward No. 9 Kuber Complex, Station Road Kuchaman City, Nawa, Nagaur, Rajasthan 341508

आदेश

दिनांक : 17-1-2023

प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत पेश हुआ।

वकील प्रार्थी को सुना गया। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों में यह कथन किया है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी/ऋणी को रुपये 8,25,328/- (अक्षरे आठ लाख पच्चीस हजार तीन सौ अठाईस रुपये मात्र) दिनांक 15.03.2017 का ऋण उपलब्ध करवाया गया। अप्रार्थीगण/ऋणी द्वारा उक्त प्राप्त ऋण की सुविधा के एवज में सम्पति- श्री छोटू लाल पुत्र श्री दूलाराम की एक सम्पति जो कि वार्ड नं. 09, कुबेर कॉम्प्लैक्स स्टेशन रोड, कुचामन सिटी, तहसील नावां, जिला नागौर, राजस्थान-341508 पर स्थित है। जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि सभी सम्मिलित है जो सभी सम्पति के अभिन्न अंग है। जिसका कुल क्षेत्रफल 71.60 वर्ग फीट अर्थात 7.95 वर्ग गज है। जिसकी चारो सीमाएं :- उत्तर में- नाल एवं नाल के नीचे की भूमि, दक्षिण में- श्री ब्रह्लाद स्वामी की दुकान, पूर्व में- विक्रेता की सम्पति, पश्चिम में- आम सडक, जो प्रार्थी बैंक के पास ऋण अदायगी हेतु ऋणी एवं जमानतदार ने आवश्यक दस्तावेज निष्पादित किये।

अप्रार्थीगण/ऋणी ने उपलब्ध ऋण का बैंक के नियमानुसार भुगतान नहीं चुकाया। जिसकी वजह से उक्त खाते को दिनांक 04.04.2022 को एन.पी.ए. घोषित कर दिया गया व अप्रार्थी/ऋणी के ऋण खाते में रुपये 9,20,826/- (अक्षरे नौ लाख बीस हजार आठ सौ छब्बीस रुपये) दिनांक 01.05.2022 तक व आगे का ब्याज व खर्च आदि सहित राशि बकाया निकलते है।

उक्त ऋण खाते में ऋणी द्वारा नियमानुसार भुगतान नहीं करने पर एन.पी.ए. घोषित होने के बाद एक्ट की धारा 13 (2) के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक ने ऋणी/अप्रार्थी को दिनांक 10.05.2022 को रजिस्टर्ड नोटिस दिये गये एवं उक्त नोटिस का अखबारों में प्रकाशन करवाया गया परन्तु इसके पश्चात भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि जमा नहीं करवायी गई व न बंधक शुदा सम्पति सम्पूर्ण कब्जा प्रार्थी बैंक को दिया गया। ऋणी को उपरोक्त नोटिस के अनुसार 60 दिन के अन्दर-अन्दर ऋण रुपये 9,20,826/- (अक्षरे नौ लाख बीस हजार आठ सौ छब्बीस रुपये) दिनांक 01.05.2022 तक व आगे का ब्याज व खर्च आदि सहित राशि को जमा कराना था, परन्तु ऋणी/अप्रार्थीगण ने उपरोक्त नोटिस के अनुसार ऋण राशि जमा नहीं करवाई, के कारण एक्ट की धारा 13 (4) के अन्तर्गत कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है।

एक्ट की धारा 14 (1) के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक को बंधक सम्पति का ऋणी एवं जमानतियों से कब्जा लेने सहायता आवश्यकता है, के कारण प्रार्थी बैंक ने जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष बैंक सिक्योरिटीज एवं



जिला मजिस्ट्रेट
नागौर

सिक्वोरिटीज से संबंधित डोक्यूमेन्ट का ऋणी/जमानती से कब्जा लेकर प्रार्थी बैंक को कब्जा दिलवाने के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

बैंक सिक्वोरिटीज सम्पत्ति का विवरण :- श्री छोटू लाल पुत्र श्री दूलाराम की एक सम्पत्ति जो कि वार्ड नं. 09, कुबेर कॉम्प्लैक्स स्टेशन रोड, कुचामन सिटी, तहसील नावां, जिला नागौर, राजस्थान-341508 पर स्थित है। जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि सभी सम्मिलित है जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है। जिसका कुल क्षेत्रफल 71.60 वर्ग फीट अर्थात 7.95 वर्ग गज है। जिसकी चारो सीमाएं :- उत्तर में- नाल एवं नाल के नीचे की भूमि, दक्षिण में- श्री प्रहलाद स्वामी की दुकान, पूर्व में- विक्रेता की सम्पत्ति, पश्चिम में- आम सडक, का कब्जा लेना है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर प्रार्थना पत्र में वर्णित सम्पत्ति का कब्जा संबंधित डोक्यूमेन्टस का कब्जा एक्ट की धारा 14 के अनुसार ऋणी/अप्रार्थीगण से प्रार्थी बैंक को कब्जा दिलाने का आदेश जारी करने हेतु निवेदन किया है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ऋणी/अप्रार्थीगण ने प्रार्थी बैंक से 8,25,328/- (अक्षरे आठ लाख पच्चीस हजार तीन सौ अठाईस रुपये मात्र) दिनांक 15.03.2017 को प्राप्त की थी। उक्त ऋण के बदले में इकरारनामा व उससे संबंधित दस्तावेज तैयार कर अपने हस्ताक्षर से प्रार्थी बैंक के पक्ष में निष्पादित किये थे। प्रार्थी बैंक द्वारा नियमानुसार ऋण वसूली के लिये आडिनेन्स की धारा 13 (2) के अन्तर्गत नोटिस जारी करना पाया जाता है।

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 में उपरोक्तानुसार रहन की गयी सम्पत्ति को प्रार्थी के कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। जो इस प्रकार है:- प्रतिभूति आस्थी का कब्जा लेने में प्रतिभूति लेनदार की सहायता करने के लिये मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट जहां किसी प्रतिभूति आस्तियों का कब्जा प्रतिभूत लेनदार द्वारा लिये जाने की आवश्यकता हो, या यदि किन्ही प्रतिभूत आस्तियों का विक्रय या अन्तरण प्रतिभूत लेनदार द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत किये जाने की आवश्यकता हो, तो प्रतिभूत लेनदार किसी प्रतिभूत आस्ति के कब्जे या नियंत्रण को लेने के प्रयोजन के लिये, लिखित में मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट को उनकी अधिकारिता के भीतर अनुरोध करेगा, ऐसी कोई प्रतिभूत आस्ति या उससे संबंधित अन्य दस्तावेज स्थित हो सकेगा या पाया जा सकेगा, उसका कब्जा लेने के लिये अनुरोध करेगा, और मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट जो स्थित हो, उसको किये गये उस अनुरोध पर -(क)उस आस्ति और उससे संबंधित दस्तावेजों का कब्जा लेगा, और (ख) प्रतिभूत लेनदार को उन आस्तियों और दस्तावेजों को भेजेगा।

धारा 14 (2) उप धारा (1) के प्रावधानों के साथ अनुपालना को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिये, मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट उन कदमों को लेगा या लिवा सकेगा या ऐसा बल प्रयुक्त कर सकेगा जो उसकी राय में आवश्यक हो सकेगा।

उपरोक्त प्रावधानों को दृष्टीगत रखते हुए इस संबंध में पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने हेतु आदेश पारित किया जाना हम उचित समझते हैं। अतः प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। पुलिस अधीक्षक नागौर को निर्देश दिये जाते हैं कि अप्रार्थी/ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक के पक्ष में बतौर प्रतिभूति अपने स्वामित्व में सम्पत्ति- श्री छोटू लाल पुत्र श्री दूलाराम की एक सम्पत्ति जो कि वार्ड नं. 09, कुबेर कॉम्प्लैक्स स्टेशन रोड, कुचामन सिटी, तहसील नावां, जिला नागौर, राजस्थान-341508 पर स्थित है। जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि सभी सम्मिलित है जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है। जिसका कुल क्षेत्रफल 71.60 वर्ग फीट अर्थात 7.95 वर्ग गज है। जिसकी चारो सीमाएं :- उत्तर में- नाल एवं नाल के नीचे की भूमि, दक्षिण में- श्री प्रहलाद स्वामी की दुकान, पूर्व में- विक्रेता की सम्पत्ति, पश्चिम में- आम सडक, जो प्रार्थी बैंक के पास हाईपोथीकेटेड है, को प्रार्थी बैंक के हक में बंधक किया था तथा बंधक विलेख निष्पादित किया था, के संबंध में संबंधित थानाधिकारी, पुलिस थाना को निर्देशित करे कि वे उक्त संपत्ति का कब्जा व उससे संबंधित अन्य कोई दस्तावेज अप्रार्थी के कब्जे में हो तो उन दस्तावेजों को प्रार्थी को संभलाने हेतु मौके पर जाकर विधि सम्मत कार्यवाही करें।

आदेश सुनाया गया।



पीयूष सेमारिया)
जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, नागौर
जिला मजिस्ट्रेट
नागौर